संख्या -16/2022/534/सा0/सैंतालीस-का-4-2022(1/3/96)

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 25 अगस्त, 2022

विषयः- समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल/क्षेत्र परिवर्तन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-**12/2022/487/सा0/सैंतालिस-का-4-2022(1/3/96)**दिनांक 27.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सरकारी कार्यालयों में कार्य की शुचिता बनाये रखने के दृष्टिगत समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल/क्षेत्र परिवर्तन किये जाने के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रमाण पत्र संबंधी सूचना कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं, किन्तु इस संबंध में प्रशासकीय विभाग के स्तर से किसी प्रकार की सूचना कार्मिक विभाग को प्राप्त नही हुयी है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपरोक्त आदेश दिनांक 27.07.2022 के अनुपालन में समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं फील्ड में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन किये जाने के संबंध में प्रमाण पत्र सहित सूचना अपने प्रशासकीय विभाग के माध्यम से 31 अगस्त 2022 तक कार्मिक विभाग को अवश्यक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के स्तर पर शीघ्र ही समीक्षा की जायेगी।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-16/2022/534(1)/सा0/सैंतालीस-का-4-2022-(1/3/96) तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in